"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 जुलाई 2006—श्रावण 6, शक 1928

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं कु. अमिता ऋतु सिंह आत्मजा ई. व्ही. पी. सिंह, आयु 23 वर्ष, जन्म तिथि 25-9-1983 निवासी- गंगा नगर, मंगला रोड, बिलासपुर (छ. ग.) वर्तमान पता-द्वारा जी. आर. जाजूल्कर, क्वा. नं. 14 ए, सड़क 14, सेक्टर 10, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. मैं अपने पूर्व नाम को परिवर्तित कर कु. शेरोन ईशा सिंह रख ली हूं तथा इस संबंध में सक्षम अधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे कु. शेरोन ईशा सिंह आत्मजा ई. व्ही. पी. सिंह के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
कु. अमिता ऋतु सिंह आत्मजा- ई. व्ही. पी. सिंह निवासी - गंगा नगर, मंगला रोड, बिलासपुर (छ. ग.)	कु. शेरोन ईशा सिंह आत्मजा- ई. व्ही. पी. सिंह निवासी - गंगा नगर, मंगला रोड, बिलासपुर (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, दुर्ग

प्रारूप-चार
[नियम 5 (1) देखिये]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 का 30 की धारा 5 की उपधारा (2) और छ. ग. लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) देखिये]

दुर्ग, दिनांक 7 जुलाई 2006

क्रमांक 673/प्र. 1/अ. वि. अ./2006.—चूंकि संरक्षक श्री दुर्गाप्रसाद महोबिया दुर्ग द्वारा श्री नरनारायण मंदिर एवं सर्व धर्म इष्ट देव प्रार्थना भवन, बोरसी हाउसिंग बोर्ड के पास दुर्ग ने छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 5 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह निर्दिष्ट की गयी न्यास पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 7-8-06 को विचार के लिये लियां जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने का सुझाव देने का विचार रखता हो, इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं तारन प्रकाश सिन्हा, अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग एवं पंजीयक, लोक न्यास दुर्ग अपने न्यायालय में दिनांक 7-8-06 को उक्त अधिनियन की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम और पता	:	श्री नरनारायण मंदिर एवं सर्व धर्म इष्ट देव प्रार्थना भवन, बोरसी हाउसिंग बोर्ड के पास दुर्ग.
(2)	संपत्ति का विवरण	:	1,50,00,000/- चल/अचल संपत्ति. ट्रस्ट डीड के अनुसार.

तारन प्रकाश सिन्हा,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.